न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 51/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
शोभागसिंह पुत्र चेनसिंह जाति राजपूत निवासी अडवड तहसील जायल जिला नागौर।		1 कमल कंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी अडवड तहसील जायल जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत अडवड पंचायत समिति मुण्डवा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर। 3 ग्राम पंचयत अडवड, पंचायत समिति मुण्डवा जरिये ग्राम सेवक/पदेन सचिव ग्राम पंचायत अडवड तहसील जायल जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री चन्द्रशेखर दन्तुसलिया, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।

2 श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 17.04.2026

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा पटटा संख्या 32 दिनांक 05.06.2019, से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.11.2024 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 18.11.24 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री रमेश कुमार ढाका, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। निगरानी के विचाराधीन रहते हुए वकील अप्रार्थी सं. 1 ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.25 को वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की फोटोप्रतिया को डी पार्ट मे रखने हेतु पेश किया तथा एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत पेश किया। उक्त दोनो प्रार्थना पत्रो का जवाब वकील प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2025 को पेश किये। जिस पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी सं. 1 का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.11.25 दस्तावेजो की फोटोप्रतियां डी पार्ट मे रखने बाबत तथा एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किये जाते है। वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 18.11.25 को पेश किया। जिसका वकील अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 13.01.2026 को जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 18.11.2025 खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत अडवड के पटटा दिनांक 28.03.88 की फोटोप्रति, पटटा रजिस्ट्रेशन दिनांक 17.11.21 की फोटोप्रति, पटटा दिनांक 19.03.19 की फोटोप्रति, शोभागसिंह के आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के संयुक्त स्वामित्व प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.24 की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत अडवड को लिखे गये दिनांक 30.10.24 की फोटोप्रति, बिजली बिल की फोटोप्रति, बिजली विभाग द्वारा जारी नोटिस की फोटोप्रति, गिरधारी सिंह, कल्याणसिंह, सुरजाराम के शपथ पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के प्रमाण पत्र दिनांक 22.09.25 की फोटोप्रति, लिखापढी दिनांक 21.06.90 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अडवड के पत्र दिनांक 14.11.24 की फोटोप्रति, पुलिस थाना अधिकारी कुचेरा को लिखे गये पत्र की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत अडवड के प्रमाण पत्र दिनांक 26.02.2025 की फोटोप्रति, तुलछाराम तथा रामनिवास के शपथ पत्रों की फोटोप्रति, तथा ग्राम पंचायत के अडवड के स्वामित्व प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया गया।

2– बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– विवादित पटटा संख्या 32/दिनांक 05.06.2019 सरासर गलत, फर्जी, कूटरचित, षडयंत्रपूर्वक ढंग से जारी किया हुआ होने से खारिज किये जाने योग्य है।

17/4/-

अपर कलक्टर, नागौर

2(2)–अप्रार्थी संख्या 1 ने यह जानते हुए कि कथित पटटा जो उसके द्वारा फर्जी तैयार करवाया जा रहा है उस जायगा/मकान का पहले से ही पटटा निगरानीकर्ता के नाम का ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ है व मौके पर निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ है जिस पर निगरानीकर्ता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है इसके बावजूद उसी जगह का फर्जी पटटा ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरा से मिलावट, अपराधिक षडयंत्र करके या उनको अंधेरे में रख कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले अपने पति के अनुचित सहयोग से जारी करवाया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– ग्राम पंचायत अडवड द्वारा ही पूर्व में निगरानीकर्ता के नाम से पटटा जारी किया गया था और उसी जायगा का नया पटटा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नहीं था न है इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से निगरानीकर्ता की पटटासुदा जायगा का पश्चातवर्ती पटटा सरासर गलत बिना अधिकार प्रक्रिया अपनाये जारी किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– जिस जायगा/मकान का पटटा अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति ने अपराधिक षयंत्र के तहत जारी करवाया है उस जायगा पर निगरानीकर्ता या उसके पति का कभी कोई कब्जा, उपयोग उपभोग निवास नहीं रहा है न उस जगह की अप्रार्थी संख्या 1 काबिज मालिक रही है इसके बावजूद मिथ्या घौषणा करके कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति कथित फर्जी पटटा की रचना करवाई है जिनके विरूद्व पुलिस विभाग में अलग से कार्यवाही निगरानीकर्ता की ओर से की जा रही है तथा न पुलिस थाना कुचेरा व पुलिस अधीक्षक नागौर को परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज करने का निवेदन किया गया है मगर चूंकि उक्त फर्जी पटटा की आड में अप्रार्थी संख्या 1 व उसके पति जबरन निगरानीकर्ता को उसकी कब्जासुद पटटासुद जायगा से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण निगरानी के जरिये उक्त पश्चातवर्ती फर्जी पटटा को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

2(5)–निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से कथित फर्जी पटटा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं करवाई है ग्राम पंचायत ने कथित पश्चातवर्ती फर्जी पटटा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नहीं की गयी, न सार्वजनिक आपति आंमत्रित की गयी, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच नहीं की गयी, न सार्वजनिक आपति आमंत्रित की गयी, न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गयी और बिना विधि प्रक्रिया अपनाये ही बाले बाले गैर कानूनी पटटा जारी किया होने से खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि उस जगह का पटटा तो पहले से ही प्रार्थी के नाम से जारी किया हुआ है इस कारण उसी जगह का नया फर्जी पटटा जो जारी किया गया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)–कथित फर्जी पश्चातवर्ती पटटा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं की गयी है व सभी नियम कायदों को ताक पर रख कर फर्जी पटटा जारी किया यगा व अप्रार्थी संख्या 1 उसके पति व दीगर सहयोगी जबरन कब्जा करने व पटटा का दुपयोग करने पर आमादा है इसलिए कथित पटटा को खारिज यिका जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–निगरानीकर्ता ने मिथ्या, बेबुनियाद व काल्पनिक तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। क्योंकि, उक्त जांयगा पर कभी भी शोभागसिंह व उनकी बहनों का कोई कब्जा, हक, अधिकार नहीं रहा है बल्कि वास्तव में अप्रार्थी कमल कंवर के पति श्री राजेन्द्र सिंह के बंट व हक अधिकारों की जांयगा मय मकान आबादी भूमि अडवड में आई हुई है। जिसमें से कुछ हिस्से का पट्टा संख्या 32 राजेन्द्र सिंह की सहमति से उसकी पत्नी अप्रार्थी कमल कंवर के नाम से पंचायतराज के नियमों की पालना करते हुये जारी किया गया है तथा जिसका नवीनीकरण किया जाकर उसका रजिस्ट्रेशन सरपंच ग्राम पंचायत अडवड द्वारा उप पंजीयक, जायल में करवाया गया है। जो दिनांक 17.11.21 को पुस्तक जिल्द संख्या 379 में पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202103220/02275 पर पंजीकृत किया गया है।

प्रार्थी की पत्नी कमल कंवर के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात शेष जायगा पर आज दिन भी अप्रार्थी व उसके पति राजेन्द्र सिंह का कब्जा व अधिकार है तथा उक्त जायगा में अप्रार्थी व उसके पति राजेन्द्र सिंह के अलावा किसी का कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त आबादी भूमि मय मकान अप्रार्थी के पति राजेन्द्र सिंह को पारिवारिक बंटवाडे में प्राप्त हुई, जो अप्रार्थी के पति राजेन्द्र सिंह के पिता ने बंट करके राजेन्द्र सिंह को दी थी उक्त सम्पत्ति राजेन्द्र सिंह के पिता चैनसिंह की थी। जिन्होने अपनी स्वैच्छा से अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का बंटवाडा करते हुये अप्रार्थी के पति व निगरानीकर्ता शोभागसिंह के मध्य दिनांक 06.01.88 को विभाजन कर दिया था तथा चैनसिंह ने अपनी संपति मे अपनी पुत्रियों का कोई हक हिस्सा नहीं रखा था क्योकि पुत्रियों को शादी में सोने के जेवरात व मायरों में चल सम्पत्ति के तौर पर राशि व जेवरात इत्यादि दे दिये थे।

17/4/–

अपर कलक्टर, नागौर

पारिवारिक लिखापढी पर अप्रार्थी कमल कंवर के पति राजेन्द्रसिंह व निगरानीकर्ता शोभागसिंह एवं उनके पिता चैनसिंह स्वयं ने उक्त लिखापढी करके अपनी अचल संपत्ति का बंटवाडा करके हस्ताक्षर कर दिये, इसलिए उक्त पारिवारिक लिखापढी व उस पर की गई स्वीकारोक्ति से भिन्न तथ्य करने से शोभागसिंह प्रतिबंधित है। किन्तु इसके बावजूद शोभागसिंह ने फर्जी पट्टा बना लिया तथा पट्टा जारी करने वाले भी शोभागसिंह के पिता हैं, जिन्होंने एक तरफ तो पारिवारिक बंटवाडा किया तथा दूसरी तरफ गलत रूप से बिना नम्बरों के कथित पट्टे बना दिये। जबकि सरपंच अपने परिवार के सदस्यों के नाम से पट्टा जारी नहीं कर सकता और न ही चैनसिंह की पुत्रियों का कभी कोई कब्जा, हक, अधिकार अप्रार्थी की जांयगा पर रहा हैं। इसके अलावा कथित फर्जी पट्टे का कोई रिकार्ड भी ग्राम पंचायत में नही हैं तथा शोभागसिंह फर्जी पट्टे के आधार पर जब अप्रार्थी की जांयगा में जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो अप्रार्थी व उसकी पत्नी ने ऐसा करने से मना किया। तब उसे शोभागसिंह व अन्य के नाम से फर्जी पट्टो की जानकारी होने पर उनको निरस्त करवाने के लिये निगरानीयां पेश की हुई है। इस प्रकार से अप्रार्थी कमल कंवर के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है वह सही व सत्य है तथा उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के नियमों के अनुसार कमल कंवर के नाम से जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। यह कथन गलत है कि, पट्टा संख्या 32/दिनांक 05.06.2019 सरासर गलत, फर्जी, कूटरचित, षडयंत्रपूर्वक से जारी किया गया हो। जब उक्त पट्टे वाली जांयगा राजेन्द्र सिंह के बंट में आ चुकी थी तो वैसी सूरत में अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा फर्जी पट्टा तैयार करवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह कथन गलत है कि, उस जायगा/मकान का पहले से ही पट्टा निगरानीकर्ता के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया हुआ हो व मौके पर निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ हो जिस पर निगरानीकर्ता काबिज रहकर उपयोग उपभोग करता आ रहा हो। बल्कि कोई पट्टा शोभागसिंह के नाम से जारी किया हुआ नहीं है। यह कथन भी गलत है कि, उसी जगह का फर्जी पट्टा ग्राम पंचायत के सरपंच वगैरह से मिलावट, आपराधिक षडयंत्र करके या उनको अंधेरे में रख कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बाले बाले अपने पति के अनुचित सहयोग से जारी करवाया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य हो।

यह कथन गलत है कि, ग्राम पंचायत अडवड द्वारा ही पूर्व में निगरानीकर्ता के नाम से पट्टा जारी किया गया हो और उसी जांयगा का नया पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था न है इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से निगरानीकर्ता का पट्टासुदा जायगा का पश्चातवर्ती पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी किया होने से निरस्त किये जाने योग्य हो। बल्कि शोभागसिंह के नाम से कभी कोई पट्टा जारी नहीं किया गया और न ही ऐसा कोई पट्टा अस्तित्व में है। शोभाग सिंह ने फर्जी तरीके से बिना किसी प्रकार की पत्रावली व क्रम संख्या का जो पट्टा बता रहा है वह पट्टा की परिभाषा में ही नहीं आता है।

यह कथन गलत है कि, जिस जायगा/मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति के नाम से जारी किया गया है वह आपराधिक षडयंत्र के तहत जारी करवाया हो। यह कथन भी गलत है कि, उस जगह पर राजेन्द्र सिंह व उसके पति का कभी कोई कब्जा, उपयोग, उपभोग निवास नहीं रहा हो न उस जगह की अप्रार्थी संख्या 01 काबिज मालिक रही है इसके बावजूद मिथ्या घोषणा करके कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति कथित फर्जी पट्टा की रचना करवाई हो। निगरानीकर्ता अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं है। निगरानीकर्ता जबरन अप्रार्थी व उसके पति राजेन्द्र सिंह के बंट की जायगा को हड़प करना चाहता है, इसलिये मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कथन गलत है कि, पट्टा की आड में अप्रार्थी संख्या 01 व उसके पति जबरन निगरानीकर्ता को उसकी कब्जासुदा पट्टासुदा जायगा से बेदखल करने पर आमदा हो बल्कि जब निगरानीकर्ता का कोई कब्जा कभी रहा ही नहीं तो उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

यह कथन गलत है कि, निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत से पट्टा व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतियां भी मांगी मगर ग्राम पंचायत ने उपलब्ध नहीं करवाई हो ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौका जांच नही की गयी, न ही सार्वजनिक आपत्ति आमंत्रित की गयी न नोटिस सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया न वार्ड पंचों की टीम से मौका जांच करवाई गयी और बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही बाले बाले गैर कानूनी पट्टा जारी किया होने से खारिज किये जाने योग्य हो। बल्कि अप्रार्थी के नाम से जारी किया गया पट्टा फर्जी नहीं है फर्जी पट्टा शोभागसिंह द्वारा बनाया गया था जिसको देखने से यह स्पष्ट हो जाता है। फर्जी पट्टा तो शोभागसिंह ने बनाकर रखा है जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्वयं प्रंसज्ञान लिया जाकर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। अप्रार्थी कमल कंवर के नाम से जो पट्टा जारी किया गया है वह सभी नियमों की पूर्ण पालना करने के पश्चात ही जारी कर उसका उप पंजीयक के यहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है।

17/4/-
अपर कलक्टर, नागौर

यह कथन गलत है कि, पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के किसी भी नियम की कोई पालना नही की गयी हो व सभी नियम कायदो को ताक पर रख कर फर्जी पट्टा जारी किया गया हो। यह कथन भी गलत है कि, अप्रार्थी संख्या 01 उसके पति व दीगर सहयोगियो जबरन कब्जा करने व पट्टा का दुरुपयोग करने पर आमदा हो इसलिए कथित पट्टा को खारिज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हो। बल्कि उक्त पट्टा विधिनुसार जारी किया गया है। निगरानीकर्ता ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर निगरानी पेश की है जो असत्य कथनों पर आधारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा उक्त निगरानी मयाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है।

4— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अडवड द्वारा संकल्प संख्या 02 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा पटटा संख्या 32 दिनांक 05.06.2019, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त मूल रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 23.06.2025 के अनुसार बैठक कार्यवाही रजिस्टर व पटटा बुक ही उपलब्ध करवाई है तथा पटटे से संबंधित अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि ग्राम पंचायत ने उक्त पटटा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियमों की पालना करते हुए जारी किया गया हो?

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 के अनुसार मौके का स्थल निरीक्षण से संबंधित दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलबध नहीं है, जिससे ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 की पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार रूपये 200/— जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया जाता है, परन्तु ऐसी रसीद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेख में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत ने उक्त नियम की पालना की हो? उक्त सभी तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा बनाते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्ण रूप से पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अडवड द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के हक में जारी संकल्प संख्या 02 दिनांक 19.03.2019 के द्वारा पटटा संख्या 32 दिनांक 05.06.2019, व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर) 17/4/—
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर